

प्रपत्र-14

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत रूंग-सिर्खा मोटर मार्ग का निर्माण
(लम्बाई 3.00 कि०मी०)

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

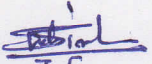
प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

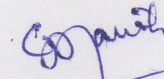
ह०/-

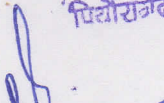
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह०/-

प्रभागीय वनाधिकारी


I.F.


सहायक अभियन्ता
मै. वि. दि. धारचूला (अस्कोट)
पिथौरागढ़


अधिवक्ता अभियन्ता
निर्माण
लो.० नि.० वि.०
अस्कोट


वन क्षेत्राधिकारी
धारचूला
जन प्रशासन पिथौरागढ़


उप निरीक्षक
क्षेत्र.....
ह०.....
जिला पिथौरागढ़


तहसीलदार
धारचूला




प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़